न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 3/24 तारीख रुजू- 13/05/24

1. रामनिवास पुत्र हरमन जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. जीतराम पुत्र मलके जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।
3. रामचरण पुत्र मलके जाति गूजरान निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी । —रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 30/07/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 96/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19/03/2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम फरासपुर के आराजी ख0नं0 191,192,193,194,195, कुल रकबा 0.71है0 किस्म गै0मु0बारानी 1 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी ख0न0 191,192,193,194,195 कुल रकबा 0.71 है0 किस्म गै0मु0 बारानी प्रथम वाके ग्राम फरासपुर में है जिसकी वर्तमान में खातेदारी मन्दिर श्री गंगाजी के नाम हाल रिकार्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है। मन्दिर की खातेदारी की भूमि है जिसको हल्का पटवारी ने गैर मुमकिन बारानी दर्ज बतलाकर सरसों की फसल काश्त करना बताया है। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 219/04 उपजिलाधिकारी मूर्ति मन्दिर श्री गंगाजी बनाम चिरंजी वगै0 चला था। जिसमें दिनांक 30.03.

30/7/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

2009 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त दावे में उक्त भूमि रिसीवर में थी लेकिन उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने उक्त भूमि को रिसीवर से वागुजारत करने का आदेश नहीं दिया है तथा अपने आदेश में केवल प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिया है तथा यह भी हवाला नहीं दिया है कि उक्त भूमि 13.10.2023 तक रिसीवर के कब्जेराज में मानकार पक्षकारान को 13.10.2023 को उक्त भूमि नीलाम करने का नोटिस दिया गया लेकिन नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर अदालत उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश के अनुसार बेदखली की कार्यवाही नही कर अवैध रूप से अपीलान्ट को धारा 91 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का नोटिस जारी कर दिया जबकि खातेदारी भूमि पर 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में दावा डिक्री होने के बाद जो इजराय विचाराधीन है उसके अनुसार ही बेदखली की कार्यवाही करना आवश्यक था इसलिये अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट पश्चातवृति अतिकमी की परिभाषा में नहीं आते है क्योकि अदालत मातहत द्वारा निलामी कार्यवाही करने के लिये उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में मानकर दिनांक 13.10.23 को उक्त भूमि निलाम करने की कार्यवाही करने बाबत् नोटिस जारी किया गया । उक्त नोटिस के अनुसार 13.10.2023 के बाद केवल एक फसल पैदा हो सकती है एवं दो फसल पैदा नही हो सकती, ,साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि .अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया. है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपने बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 142 दिनांक 22.07.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 18/07/2024 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में मौके पर खाली है,लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

30/7/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला-गंगापुर सिटी (राज०)
सत्यमेव जयते

इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पावन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2025.....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/25

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)